

प्रश्न सं. [ क. 1409 ]

सदन में उत्तर देने की ति. - 23/12/2021

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि., इन्दौर

5/12-21

विधानसभा अतारकित जानकारी 1409 (माननीय विधायक श्री जितू पटवारी)

प्रश्न बिन्दु क्रमांक 'ख'

परिसर 21

| माह        | अप्रैल 2021 से नवंबर-2021 तक समस्त प्रयोजन वाले समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत बिल संबंधी विभिन्न माध्यम से प्राप्त कुल शिकायतें | सहीं पाई गई शिकायतें। |
|------------|---|-----------------------|
| अप्रैल-21  | 7488  | 5695                  |
| मई-21      | 23328   | 17763                 |
| जून-21     | 23141   | 15891                 |
| जुलाई-21   | 26817   | 17510                 |
| अगस्त-21   | 20037   | 13533                 |
| सितंबर-21  | 16872   | 11318                 |
| अक्टूबर-21 | 14032   | 10085                 |
| नवंबर-21   | 10840   | 7053                  |
| कुल        | 142555  | 98848                 |

अनुभाग अधिकारी

ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन

भोपाल

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. (पि.अ.)  
कार्यालय म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इन्दौर

प्रपत्र-ब

सदन में उत्तर देने का दिनांक-23.12.2021

अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1409

माननीय विधायक श्री जितू पटवारी

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत बिलों से संबंधित शिकायतों में कमी लाने के लिये किये गये प्रयासों का विवरण:-

1. उपभोक्ताओं के परिसर में अत्यधिक विद्युत खपत को नियंत्रित करने हेतु ऊर्जा की बचत करने के उपाय बताना।
2. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विद्युत देयकों के संबंध में दी जाने वाली राहत/योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर योजनाओं में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करना।
3. वितरण केन्द्रों/कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस पर विद्युत देयकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु निर्देश।
4. शासन के निर्देशानुसार वितरण केंद्र स्तर/पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन।
5. कंपनी क्षेत्र में त्रुटियुक्त देयक सहित अन्य समस्त शिकायतों के निवारण हेतु 24x7 कॉल सेंटर (दूरभाष क्र. 1912) की स्थापना।
6. कंपनी क्षेत्र में त्रुटियुक्त देयक सहित अन्य समस्त शिकायतों के निवारण हेतु 24x7 ऊर्जा एप पोर्टल की सुविधा।
7. उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर की वास्तविक खपत की गणना हेतु फोटो मीटर रीडिंग/ए.एम.आर. की सुविधा।
8. उपभोक्ता द्वारा स्वयं के परिसर में स्थापित मीटर की वास्तविक खपत को कंपनी के अधिकृत पोर्टल पर कंपनी द्वारा जारी मोबाइल एप के माध्यम से "सेल्फ फोटो मीटर रीडिंग" की सुविधा।
9. उपभोक्ता शिकायतों के निवारण हेतु 24x7 "सी.एम. हेल्पलाइन" (दूरभाष क्र. 181) की सुविधा।
10. ऐसे उपभोक्ता जिनके मासिक विद्युत देयक की राशि पिछले वर्ष समान माह के मासिक विद्युत देयक की राशि से 125% से अधिक होने पर संबंधित वितरण केंद्र के प्रभारी द्वारा पुनः जांच करने एवं कार्यपालन अभियंता के संतुष्टि के उपरांत ही देयक जारी करने के निर्देश है।

G

अनुभूत अधिकारी  
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन  
भोपाल